कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 209/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.06.2026

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

आजमगढ़ सहित कई जनपदों में महिलाओं को ठगी का शिकार बनाने वाले अंतरजनपदीय टप्पेबाज गैंग का सरगना मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार

आजमगढ़, बरेली, बुलंदशहर व मुजफ्फरनगर, आदि जनपदों में सक्रिय टप्पेबाज गिरोह का खुलासा, सरगना पुलिस मुठभेड में घायल/गिरफ्तार

भूत-प्रेत व तंत्र-मंत्र के नाम पर महिलाओं को ठगने वाले अंतरजनपदीय टप्पेबाज गैंग का सरगना पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार

पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे टप्पेबाज गैंग के सरगना को जवाबी कार्रवाई में लगी गोली, ठगी का माल बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 09.05.2026 को वादिनी मुकदमा चंदा देवी W/O शिसपाल ग्राम राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर आजमगढ द्वारा थाना सरायमीर पर तहरीर दिया गया था कि ठठेरी बाजार के पास 02 अज्ञात व्यक्तियों ने वादिनी से उसके पति पर भूत प्रेत का साया होने की बात कहकर तथा उसको ठीक करने के नाम पर वादिनी से कान की झाली, गले का लॉकेट, 01 मोबाइल फोन व 01 लाख रुपये की ठगी करके लेकर चले गये। जिसके सम्बन्ध में थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 113/2026 धारा- 318(4), 303(2) बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

मुठभेड़ का विवरण- दिनांक 01.06.2026 को प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार चौबे मय हमराह, उ0नि0 पंकज यादव मय हमराह, उ0नि0 राजनाथ यादव मय हमराह को सूचना मिली कि कस्बा सरायमीर में ठठेरी बाजार से 01 महिला के साथ धोखाधड़ी/टप्पेबाजी कर गहनों व पैसे की चोरी करने वाले 02 अपराधी फूलपुर से खरेवा की तरफ मोटर साइकिल से आ रहे है। इस सूचना पर मय पुलिस बल ने खरेवा मोड़ - फूलपुर की तरफ प्रस्थान किया तथा करछा मन्दिर से पहले ही फूलपुर की तरफ से 01 मोटर साइकिल आती दिखाई दी जिसे संदेह होने पर रोकने का प्रयास किया गया तो भागने लगा तथा सामने से आ रहे उ0नि0 राजनाथ यादव मय हमराह को देखकर हड़बड़ी में मोटरसाइकिल कच्ची उबड़ -खाबड़ सडक पर मोडकर भगाने लगे तथा अनियंत्रित होकर गिर गये, 01 बदमाश अन्धेरे का फायदा उठाकर भाग गया तथा दुसरे बदमाश को पकडने का प्रयास किया गया तो पुलिस बल को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नियत से फायर करने लगा, पुलिस बल द्वारा आत्मसमर्पण करने की पर्याप्त चेतावनी के पश्चात आत्मसुरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी जिसे आज दिनांक 02.06.2026 को समय करीब 01.18 बजे हिरासत पुलिस मे लेकर इलाज हेतु सी0एच0सी0 खरेवा/फूलपुर रवाना किया गया।

घायल अभियुक्त की पहचान इम्तियाज खान पुत्र नासिर खान निवासी मौलाना आजाद नगर निकट उस्मानिया मस्जिद गली नं0- 16 थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ हाल पता फरीदीपुर दुबग्गा गली नं0 11 बमरौली फाटक थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 48 वर्ष के रुप में हुयी।

जिसके पास से 01 वाहन मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 02 मोबाइल फोन, 02 कान की झाली, 01 नाक की कील, 01 लाकेट तथा 11,100/- रूपये, 01 देशी तमन्चा, 01 मिस जिन्दा कारतुस (KF 8MM), 01 खोखा कारसुत (KF 8MM) बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरायमीर पर

मु0अ0सं0- 142/2026 धारा- 109(2), 317(2), 317(5) BNS व धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>-

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त दोनो भाई मोटरसाइकिल से घूम फिर कर इलाके की रेकी करते रहते हैं, और कस्बा व बाजार में घूम कर अधेड़ उम्र की औरतों को चिन्हित कर उन्हे जादू टोना, तंत्र मंत्र या उसके परिवार पर संकट का भय दिखाकर उस महिला को अपने विश्वास में लेकर शुद्धिकरण के नाम पर जेवर, नगदी व सामान लेकर महिला को विधि के नाम पर बीना पिछे मुड़कर देखे 51 कदम चलने के लिए कहकर अभियुक्त उसके गहने, नगदी व अन्य कीमती समान लेकर भाग जाते है।

दिनांक 08-05-2026 को सरायमीर बाजार में एक महिला को उसके पति के उपर भूत प्रेत का साया बताकर डराकर उसके कान की झाली, गले का लाकेट और करीब 01 लाख रुपये नगद तथा 01 मोबाइल लेकर चले गये थे। अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद बरेली, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर में कई मुकदमे दर्ज है।

<u>पंजीकृत अभियोग</u>- मु0अ0सं0- 142/2026 धारा- 109(2), 317(2), 317(5) BNS व धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

<u>घायल/गिरफ्तार बदमाश</u>- इम्तियाज खान पुत्र नासिर खान निवासी मौलाना आजाद नगर निकट उस्मानिया मस्जिद गली नं0- 16 थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ हाल पता फरीदीपुर दुबग्गा गली नं0 11 बमरौली फाटक थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 48 वर्ष।

<u>बरामदगी</u>- 01 वाहन मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 02 मोबाइल फोन, 02 कान की झाली, 01 नाक की कील, 01 लाकेट तथा 11,100/- रूपये, 01 देशी तमन्चा, 01 मिस जिन्दा कारतुस (KF 8MM), 01 खोखा कारसुत (KF 8MM)

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 142/26 धारा- 109(1),317(2),317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2- मु0अ0सं0- 113/26 धारा- 318(4)/303(2), 317(2) BNS थाना सरायमीर जनपद आजमगढ।
3- मु0अ0सं0- 231/21 धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली जनपद बरेली।
4- मु0अ0सं0- 181/24 धारा- 328,406,411,420 भादवि0 थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
5- मु0अ0सं0- 278/24 धारा- 123,316,317(2),318(2) बीएनएस थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
6- मु0अ0सं0- 311/25 धारा- 109(1),28,317 (5),336(2) बीएनएस थाना सिविल लाइन्स जनपद- मुजफ्फर नगर।

<u>मुठभेड़/गिरफ्तारी में सम्मिलित पुलिस बल</u>-

प्रभारी निरीक्षक सरायमीर भुवनेश कुमार चौबे, उ0नि0 पंकज यादव, उ0नि0 राजनाथ यादव, हे0का0 लालबहादुर यादव, हे0का0 विजय तिवारी, हे0का0 ओमकार मौर्या, का0 मो0 रिजवान, रि0महिला आरक्षी कुसुम सिंह,रि0आरक्षी कृष्णानन्द यादव, रि0आरक्षी हरीश राजभर, रि0का0 संदीप जायसवाल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।